न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
17/19	06.02.2019	25/10/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. मनोज पुत्र बृजमोहन जाति चमार
2. कृष्णबिहारी पुत्र बृजमोहन जाति चमार
3. तस्वीर पुत्री बृजमोहन जाति चमार
4. कजोडी बाई बेवा बृजमोहन जाति चमार निवासीगण कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. चेनसुख पुत्र गेन्दया जाति चमार निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा
3. प्रेमबाई पुत्री गेन्दया जाति चमार निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा
4. मोतीलाल पुत्र भैरया जाति चमार निवासी पाठेडा तहसील बांरा राज0
5. रामकरण पुत्र भैरया जाति चमार निवासी पाठेडा तहसील बांरा राज0
6. लखूबाई पुत्री भैरया पत्नी महाराम जाति चमार निवासी गुहावटा
7. भूलीबाई पुत्री भैरया पत्नी मोहनलाल जाति चमार निवासी चम्बल ढीपरी तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
8. प्रेमबाई पुत्री भैरया पत्नी गोपाल जाति चमार निवासी पाठेडा तहसील बांरा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट एवं 136 एलआरएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद में खाता नं0 24 में ख0नं0 432 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 444 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 445 रकबा 2.01 हे0, ख0नं0 446 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.25 हे0 भूमि दर्ज चली आ रही है। हाल ख0नं0 432 रकबा 0.75 हे0 साबिक ख0नं0 317 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 444 रकबा 0.47 हे0 साबिक ख0नं0 373 मि0 13 बीघा हाल ख0नं0 445 रकबा 2.01 हे0 साबिक ख0नं0 373 मि0 हाल ख0नं0 446 रकबा 0.02 हे0 साबिक ख0नं0 373 मि0 से बने है जो साबिक ख0नं0 नकल जमाबंदी में सं0 2023–27 में गेन्दया, भैरया, गणेश पिता नाथ्या कौम चमार सा0 रामनगर दर्ज है जिसे सेटलमेंट विभाग के द्वारा गेन्दया, भैरया गणेश के पिता नाथ्या के हाल जमाबंदी के स्थान पर नारायण दर्ज हो गया जो त्रुटिपूर्ण दर्ज हुआ है। गेन्दया, भैरया, गणेश पुत्र नाथ्या के स्थान पर सेटलमेंट विभाग के द्वारा गेन्दया, भैरया, गणेश पुत्र रामनारायण दर्ज हो गया है जो गलत है गेन्दया, भैरया, गणेश पुत्र रामनारायण दर्ज होनें से राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है तथा वादीगण के दादा व प्रतिवादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामनारायण के स्थान पर नाथ्या दर्ज कर

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। वादीगण को 1/3 प्रतिवादी 2 व 3 को 1/3 तथा प्रतिवादी 4 ता 8 को 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त होनें से खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 28.01.2019 को वादी ने प्रतिवादी नं0 1 से उक्त वाद पत्र की विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के दादाजी के पिताजी (परदादा) का नाम दुरूस्त करवानें लिए कहा तो प्रतिवादी नं0 1 साफ इन्कार हो गया जिस कारण वाद बमुकाम तहसील कार्यालय दीगोद में उत्पन्न हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम मोराना तहसील दीगोद में खाता नं0 24 में ख0नं0 432 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 444 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 445 रकबा 2.01 हे0, ख0नं0 446 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.25 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामनारायण के स्थान पर नाथ्या दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 ता 8 को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। वादीगण को 1/3, प्रतिवादी 2 व 3 को 1/3 प्रतिवादी 4 ता 8 को 1/3 हिस्से का काबिज होनें से खातेदार कृषक घोषित किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलायी जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मोराना सं0 2071–74 खाता नं0 74 प्रदर्श–1
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम रामनगर सं0 2070–73 खाता नं0 66 प्रदर्श–2
3. प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम मोराना सं0 2043–62 प्रदर्श–3
4. प्रतिलिपि जमाबंदी सेटलमेंट ग्राम मोराना सं0 2043–62 प्रदर्श–4
5. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मोराना सं0 2023–26 प्रदर्श–5

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 2 ता 8 की ओर ने स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर सादिर डिक्री व निर्णय पारित किये जानें का निवेदन किया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद स्थित विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण 2 लगातय 8 के पिता का नाम नाथ्या के स्थान पर नारायण का नाम कौनसे वर्ष की जमाबंदी में लिपिकीय भूल से लिखा गया साबित करनें पर नारायण के स्थान पर नाथ्या दर्ज करनें पर प्रतिवादी नं0 1 को कोई आपत्ति नहीं है। बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–5 जमाबंदी ग्राम मोराना सं0 2023–26 में ख0नं0 317 व 373 की भूमि गेन्दया, भेरया, गणेश पिसरान नाथ्या कौम चमार अंकित था। बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के नवीन ख0नं0 432, 444, 445 व 446 कायम किये गये जो प्रदर्श–3 से प्रमाणित है तथा प्रदर्श–4 जमाबंदी सेटलमेंट सं0 2043–62 प्रदर्श–4 के अनुसार विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गेदया, भेरया, गणेश वल्द नारायण अंकित कर दिया गया, जबकि पूर्व रिकॉर्ड अनुसार गेदया, भेरया, गणेश पुत्रान नाथ्या अंकित था। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य तय है कि गेदया, भेरया, गणेश की वल्दियत बाद सेटलमेंट गलत अंकित कर दी गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। चूंकि गेदया, भेरया, गणेश की मृत्यु हो

Scanned by CamScanner

चुकी है जिनके वारिसान का नाम ग्राम रामनगर के खाता नं0 66 में अंकित हो चुका है। जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण विवादित आराजी वाके ग्राम मोराना के खातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वाद डिक्री किये जानें की सहमति प्रकट करनें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यकों का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित है, जिससे वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।

परिणामतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 432 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 444 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 445 रकबा 2.01 हे0, ख0नं0 446 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.25 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम नारायण के स्थान पर नाथ्या दर्ज किया जावें तथा वादीगण को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं0 2 व 3 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 4 लगायत 8 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 25/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. मनोज पुत्र बृजमोहन जाति चमार
2. कृष्णबिहारी पुत्र बृजमोहन जाति चमार
3. तस्वीर पुत्री बृजमोहन जाति चमार
4. कजोडी बाई बेवा बृजमोहन जाति चमार निवासीगण कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. चेनसुख पुत्र गेन्दया जाति चमार निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा
3. प्रेमबाई पुत्री गेन्दया जाति चमार निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा
4. मोतीलाल पुत्र भैरया जाति चमार निवासी पाठेडा तहसील बांरा राज0
5. रामकरण पुत्र भैरया जाति चमार निवासी पाठेडा तहसील बांरा राज0
6. लखूबाई पुत्री भैरया पत्नी महाराम जाति चमार निवासी गुहावटा
7. भूलीबाई पुत्री भैरया पत्नी मोहनलाल जाति चमार निवासी चम्बल ढीपरी तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
8. प्रेमबाई पुत्री भैरया पत्नी गोपाल जाति चमार निवासी पाठेडा तहसील बांरा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

मिसल नम्बर–17/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 432 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 444 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 445 रकबा 2.01 हे0, ख0नं0 446 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.25 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम नारायण के स्थान पर नाथ्या दर्ज किया जावें तथा वादीगण को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं0 2 व 3 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 4 लगायत 8 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।'' तदनुसार अन्तिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 25/10 /2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0

Scanned by CamScanner

महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner